

SHRI A. C. GEORGE (Mukandapuram): You are not hearing me. You give your ruling after hearing me.

MR. SPEAKER: I have not come to a decision at all.

(Interruptions)

You can come and tell me in the chamber.

(Interruptions)

One by one, I am dealing.....

(Interruptions)

SHRI A. C. GEORGE: In the history of the Indian Parliament, this is the first time that the Prime Minister of the country is questioning the very national integrity of this country. It is something which we should discuss immediately. Never in the history of the country or even of the world....  
(Interruptions)

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नोत्तर काल के बाद शार्ट नोटिस क्वेश्चन होना चाहिए ।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): I am on a point of order.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर है । मैं आप की व्यवस्था चाहता हूँ । मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए । जो शार्ट नोटिस क्वेश्चन है, उस के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

MR. SPEAKER: The arrangement of the business is: first of all, Questions then Short notice Question and thereafter come the other matters.

SHRI K. LAKKAPPA: Adjournment Motion.

MR. SPEAKER: Adjournment Motion comes after the Short Notice Question.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: On a point of order, arising out of your observations. You just now mentioned that you were examining the Adjournment Motion. Under what rule

or procedure have you the authority to say that you are going to examine the Adjournment Motion? On Adjournment Motion, you have no such right. I want to have it clarified here and now. (Interruptions)

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ । पहले शार्ट नोटिस क्वेश्चन आएगा ।

MR. SPEAKER: The Short Notice Question comes first Mr. Nawab Singh Chauhan.

#### SHORT NOTICE QUESTION

आकाशवाणी, छतरपुर के एक इंजीनियर द्वारा की गई आत्म हत्या

1. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर आकाशवाणी केन्द्र पर 1-3-78 को एक इंजीनियर ने आत्म हत्या कर ली ;

(ख) यदि हाँ, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) क्या पुलिस ने मृत व्यक्ति के पास से कोई पत्र बरामद किया है और यदि किया है तो उसमें क्या लिखा है ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Shri R. C. Agarwal, Engineering Assistant working at the Chhatarpur station of A.I.R., is understood to have committed suicide on the night of 28-2-1978.

(b) and (c). On receipt of the information, an Addl. Chief Engineer of A.I.R. and the Chief Vigilance Officer of the Ministry of Information and

Broadcasting were deputed to proceed to Chhatarpur to hold a preliminary enquiry into the matter. Full details of the incident and also whether the Police has recovered any letter from the deceased person and, if so, the contents thereof will be known only after receipt of the enquiry report.

श्री नवाब सिंह चौहान : श्रीमान् इस घटना को घटे 9 दिन हो गये और इनके पास अभी तक सूचना नहीं आयी है। मेरी सूचना यह है कि अधिकारीगण मामला दबाना चाहते हैं। इसी तरह से पहले भी एक आदमी ने छत से कूद कर आत्म हत्या की थी उसने भी लैटर छोड़ा था लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस घटना के बाद मन्वन्धित स्टेशन डायरेक्टर को तरक्की कर दी गयी। इसी तरह से एक श्री मोहन सिंह मैंगर रेल गाड़ी में मरे पाये गये। उनके स्टेशन डायरेक्टर को एकमटेशन दिया गया। जो अधिकारी अपनी जांच करने के लिए छतरपुर ब्रजे गये हैं उनके विरुद्ध भी शिकायतें हैं। आज जनता का यह मांग है कि इस काण्ड की जांच पार्लियामेंट के सदस्यों की कमेट्री के द्वारा हो या फिर किसी जज के द्वारा यह जांच हो। अन्यथा यह इन्कवाररी ठीक नहीं होगी। ऐसे मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होना, इसीलिए छोटे-छोटे आदमियों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर अब कार्यवाही नहीं की गयी तो आगे चल कर और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह आश्वामन चाहता हूँ कि क्या वे पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेट्री बना कर इसकी जांच करावेंगे या किसी जज के जरिये से यह जांच करावेंगे? अन्यथा जांच का कोई परिणाम सामने नहीं आयेगा और सभी सबूत खत्म कर दिये जायेंगे। अतः मंत्री जी आश्वामन दें।

श्री श्याम सुन्दर लाल : हिन्दी में सवाल किया है और हिन्दी में उत्तर आना चाहिये।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर समस्या है और सरकार ने.....

SHRI RAGVALU MOHANARAN-GAM: Sir, hereafter, if any Member raises a question in English, the answer should come only in English. If they are not in a position to tolerate, why should we tolerate? (Interruptions).

MR. SPEAKER: The direction given in this House is, wherever the Minister knows both the languages, if the question is put in English, the answer must be given in English; (Interruptions) and when the question is put in Hindi, the Minister is required to give an answer in Hindi. That is the direction given (Interruptions).

SHRI K. GOPAL: Then why did the Hon. Minister answer in Hindi when I put a question in English? The Hon. Health Minister must also answer in English.

चौधरी बलवीर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा है कि अंग्रेजी में सवाल हो तो उसका जवाब अंग्रेजी में आए और हिन्दी में सवाल हो तो उसका जवाब हिन्दी में आए। यह आपने जो बात कही है रूलज के खिलाफ है। रूलज के मुताबिक चाहे सवाल अंग्रेजी में है या हिन्दी में है मिनिस्टर जिस जवान में उसका जवाब देना चाहे उसी जवान में वह जवाब दे सकता है। आप रूलज को देख लें। मिनिस्टर जिस जवान में जवाब देना चाहे उसी जवान में दे सकता है। उसे कोई आदमी इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है कि वह हिन्दी में दे या अंग्रेजी में दे। सवाल चाहे अंग्रेजी में है चाहे हिन्दी में है वह किसी भी जवान में जवाब दे सकता है। यही व्यवस्था आज तक रही है। यही हमारा रूल है। आपने जो रूलिंग दिया है वह गलत है। (इंटरप्शन) मैंने प्वाइंट ऑफ आर्डर आप से किया है, आपने इसका

जवाब देना है । दूसरे माननीय सदस्यों की बात सुनने से पहले आप इसका जवाब दें ।

MR. SPEAKER: No, no.

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: This is a point for clarification. One day, when I asked you whether it is not required, on the floor of the House, that when a Member asks a question in a particular language and that particular language is known to the Minister, he has to answer only in that language, you said on that day that the Minister can give an answer in any of the two languages, that is Hindi or English. But now you say that he can reply only in Hindi.

MR. SPEAKER: No, I did not say that: you are misunderstanding me.

चौधरी बलवीर सिंह : हलज को दुबारा आप देख लें । प्रेसीडेंट भी यही रहा है । उसको भी आप आब्जर्व कर लें । प्रेसीडेंट के मुताबिक भी और हलज के मुताबिक भी जो मिनिस्टर जिस जवान में जवाब देना चाहे दे सकता है ।

MR. SPEAKER: I have heard you, Mr. Balbir Singh. Yes, Mr. Minister, you can carry on.

SHRI SYED KAZIM ALI MEERZA: Sir, is it not the discretion of the Minister to give a reply either in English or Hindi? The direction given by the Chair is there—the previous one—that it is at the option of the Minister to give a reply in either. I would like to have a ruling from the Chair as to whether it is at the discretion of the Minister to give a reply in English or Hindi.

SHRI KANWAL LAL GUPTA: The rule is, if there is a question, whether in English or Hindi, it is at the discretion of the Minister to give a reply in either language. Nobody can force him to reply either in Hindi or English. These are the rules.

3942 L.S.—2.

SHRI K. GOPAL: You gave a ruling that if the Minister knows both the languages and if the question is in English, he should reply in English and if the question is in Hindi, he should reply in Hindi. The problem arises when Shri Raj Narain knows both the languages, but he refuses to answer to a question put in English in English. What is the position then?

Today, the Minister started his reply in English, why was he forced to reply in Hindi? (*Interruptions*).

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: If the Minister does not know either English or Hindi, what would be the position then?

MR. SPEAKER: We would consider that at that time.

PROF. P. G. MAVALANKAR: On a point of order, Sir. My point of order is simple and it arises from the observations you made a little while ago on this question... (*Interruptions*). You know that there is the facility of simultaneous interpretation in both the languages, viz. English and Hindi. You observed that the Minister must reply in Hindi if the original question is in Hindi and *vice versa*. By your observation, you are taking away the discretion of the Minister to speak in the language he chooses to make use of. Your observation sometime back was, if I understood you correct, restricted to that fact only where the Ministers were unable to speak either in English or in Hindi, that they would speak in the language in which they have got ore proficiency, and translation is in any case available. But wherever the Minister has got proficiency in both the languages, I do not think, with great respect, the Chair can direct the Minister to speak in a particular language.

In this instance, Advaniji started in English. He has proficiency in both the languages. He started in English and when he started in English, I do not see why our friends should have

asked him to speak in Hindi. Your ruling came that he would continue in Hindi. If he has proficiency in both the languages, he must have the freedom to use any language. He started in English, let him continue. Your ruling is only for those Ministers, who cannot speak in English, to speak in Hindi and for which translation is available.

MR. SPEAKER: The matter is governed by the earlier ruling. Please go on.

श्री मनोराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, सवाल यह नहीं है कि हिन्दी में करा जाय तो समझते हैं कि नहीं, अंग्रेजी में कोई कहता है तो समझते हैं कि नहीं। सवाल यह है . . (व्यवधान)

हिन्दी को तो नौकरानी बनाया जा रहा है और अंग्रेजी को रानी बनाया जा रहा है। यह सवाल है। इसके ऊपर बहुत दिन से हम चुप हैं और यह बर्दाश्त करने जा रहे हैं . . . (व्यवधान)

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: There is no translation in English.

श्री मनोराम बागड़ी : हिन्दी राष्ट्र की भाषा है। आज अगर गांधी जी होते तो क्या होता, डा० लॉहिया होते तो क्या होता अंग्रेजी रहेगी या हिन्दी रहेगी ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : उत्तरपुर की घटना बहुत गम्भीर है और सरकार ने उसका बहुत गम्भीर दृष्टिकोण लिया है।

SHRI K. GOPAL: English is the only national language.

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: He has to give the answer only in English.

SHRI K. GOPAL: You started in English but you have been forced to speak in Hindi.

MR. SPEAKER: What is this, Mr. Gopal? You are the Secretary of the Party.

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: Why should he be forced? Otherwise, we will walk out.

SHRI K. GOPAL: If he has started in Hindi, I can appreciate but he is forced.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): May I say that I have said several times in the House that we do not want to force English on anybody. But that does not mean....

SHRI K. GOPAL: Or Hindi on anybody.

SHRI MORARJI DESAI: But that does not mean that we want to force Hindi on anybody. But you cannot also force English on anybody..... (Interruptions) But that is what is sought to be done. Will you please hear what I am saying? Constitutionally, Ministers who can speak in both the languages, can speak in both the languages. But if somebody can speak only in English and not in Hindi, then he will reply to Hindi questions in English. He cannot help it. Another person does not know English. Then he will have to speak in Hindi.....

SHRI K. GOPAL: There we agree.

SHRI MORARJI DESAI: But just as it is the right of every hon. Member to speak in English or Hindi, it is also the right of the Minister to do so. But I have advised my colleagues not to create difficulties unnecessarily and if anybody speaks in English he may reply to him in English if he is able to do so. I have said that. But I object to the compulsion, if that compulsion takes place..... (Interruptions)

SHRI K. GOPAL: The compulsion came from your side.

MR. SPEAKER: He has a right to change also.

SHRI VASANT SATHE: Please do not change.

आपने अंग्रेजी में शुरू किया और जब आपको वहां से कहा गया तो आपने हिन्दी में स्विच ओवर किया।

SHRI L. K. ADVANI: Even though there may be no obligation, I have conscientiously tried to follow the practice of replying to questions in English, in English and questions in Hindi, in Hindi. If I corrected myself to-day it was because it was pointed out that the question was in Hindi and, therefore, I should reply in Hindi; I immediately corrected myself, not because of any ruling but because this is the practice that I have been trying to follow. It is not because of any compulsion. To any question that comes in English, I will reply in English. But this question was asked in Hindi, therefore, I am replying in Hindi. . . . (Interruptions)

यह कहना गलत है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील-डाल हुई है। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है, जैसे ही इस बात की सूचना मिली यहां से दो उच्च अधिकारी छतरपुर भेजे गये, और वे कल रात्रि को लौटे हैं। वे मुझे आज कल में रिपोर्ट देंगे। लेकिन जब तक वे लिखित रिपोर्ट दें, उससे पूर्व ही मैंने टेलीफोन से जानकारी की और उनकी प्रिंतिमिनरी फाईंडिंग के आधार पर वहां के एसिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर, श्री जी० सी० गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। अगर इससे भी आगे कोई कार्यवाही करने की जरूरत होगी, तो सरकार करेगी। मैं इस मामले को गम्भीरता से देख रहा हूं।

श्री नवाब सिंह चौहान : हमारे यहां एक ऐसी परम्परा रही है कि जितने बड़े लोग या उच्च अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है, और छोटे छोटे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मैंने इस बारे में मिसालें भी दी थीं। यहां पर ऐसे

अनेक अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध बदचलनी की एनक्वायरी हो रही है, मगर उनके प्रॉमोशन किये जा रहे हैं। इस मामले में नान-गज़ेटिड कर्मचारियों की चीफ़ इंजीनियर आदि के खिलाफ़ शिकायत थी कि वे लोग उनकी कतई परवाह नहीं करते हैं, उन्हें दबाते हैं और उन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। और मंत्री महोदय उन्हीं अधिकारियों से यह एनक्वायरी करा रहे हैं। दिल्ली में भी एक कर्मचारी ने छत से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। अगर यही स्थिति रही तो और भी ऐसी घटनायें होंगी। इसलिये क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि इस एनक्वायरी के लिए एक जज को मुकर्रर किया जाये? मैं यह एणोरेंस चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : माननीय सदस्य ने 1974 की एक घटना का उल्लेख किया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूर्वकाल में कुछ गलत परम्परायें होंगी, कुछ गलतियां हुई होंगी; उन्हें सुधारने की सतत कोशिश हो रही है। जब यह रिपोर्ट आयेगी, तो अगर और कोई कार्यवाही करने की जरूरत होगी, तो वह जरूर की जायेगी।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि जो अधिकारी जांच करने गये थे, वे जांच करके कल लौट आये हैं। उस समय से अभी तक मंत्री महोदय को जानकारी क्यों नहीं मिल सकी है? अगर मंत्री महोदय आवश्यक जानकारी ले लेते, तो यहां सही उत्तर दिया जा सकता था। छतरपुर आकाशवाणी में तमाम कर्मचारी वहां के बड़े अधिकारियों, एन० सी० शर्मा और जी० सी० गुप्ता, के खिलाफ़ हैं, क्योंकि वे उन्हें परेशान करते हैं। रमेश अग्रवाल के भाई की शादी थी। 26 फरवरी से उनकी छुट्टी स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन उन्हें 27 फरवरी को ड्यूटी पर बुलाया गया। उन्होंने विनय की कि हमारे भाई की शादी है, हमें जाना है, हमें ड्यूटी पर न लगाइये। उन्हें

डांटा गया और परेशान किया गया। इस कारण से यह आत्महत्या हुई है। मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय सदन में सही कारण बतायें।

**श्री सत्य कृष्ण अडवाणी :** वे अधिकारी कल रात को लौटे हैं और उन से मेरी बातचीत हुई है। मैंने सदन को यह भी जानकारी दी है—मूल प्रश्न में यह पूछा नहीं गया था—कि जो उनका इन्मीडिएट अधिकारी था, जिसका नाम अभी माननीय सदस्य ने लिया है, प्रिलिमिनरी एनक्वायरी में ऐसा लगता है कि उनकी हेरासमेंट के संदर्भ में उन्होंने आत्महत्या की है; उसे सम्पेंड कर दिया गया है। आगे भी कार्यवाही करनी होगी, लेकिन जब तक मैं पूरी रिपोर्ट को नहीं देखता तब तक मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ।

**SHRI VAYALAR RAVI:** This question of suicide of an officer is only the culmination of certain things happening not only in this station but in the entire organisation. There is discontentment among the junior officers. Because of so much of concentration of power in the Station Authority, which is not a new thing, juniors are harassed.

Among the Contract Artists, there are very good artists—even in painting, etc., which would completely come under the Station Director. People may not go the extent to committing suicide. They are suffering. In this background will you please look into the matter of grievances of these officers and make some machinery to find out the way immediately to stop or prevent any such occurrences in future.

**SHRI L. K. ADVANI:** I appreciate the point that an incident of this kind only highlights something that is deeply enrooted in the whole system

and unless there is accessibility to officers and there is machinery inbuilt in the whole system to allay the grievances properly and expeditiously, things can take an ugly turn. Since the day I heard about this, I immediately called for all things and procedures and I have been insisting upon accessibility to senior officers of the junior employees and subordinates in the matter of allaying grievances.

**श्री युबराज :** यह जो दो आत्महत्या की घटनाएं घटी हैं, क्या माननीय मंत्री जी ने उनके संबंध में यह जानने की चेष्टा की है कि जिन्होंने आत्महत्या की उनके पास से कोई चिट्ठी बरामद हुई और उस चिट्ठी में जो उनके साथ ज्यादाती की गई थी उन तमाम बातों का उल्लेख था? जो इन्वेस्टिगेशन या जांच उस आधार पर हो रही है क्या इस सम्बन्ध में जांच करने की कोशिश की है? यदि हां, तो वे ज्यादातियां कौन कौन सी हैं?

**श्री सत्य कृष्ण अडवाणी :** पुलिस का कहना है कि कोई चिट्ठी बरामद नहीं हुई। लेकिन जो सस्पेंशन किया गया है वह इस आधार पर किया गया है कि यह बात सही है कि प्राइमफेमी जां उनके इन्मीडिएट आफिसर थे उन्होंने उनको परेशान किया था और उस परेशानी के कारण उन्होंने आत्महत्या की। इसीलिए उनको सम्पेंड किया गया है।

**श्री निर्मल चन्द्र जैन :** वर्तमान कानून के आधार पर जिन उच्च अधिकारी को मस्पेंड किया गया है उनके ऊपर उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी उसमें वह सजा उतनी नहीं होगी जितना बड़ा कि उनका अपराध है जिसके कारण एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी और वह अपनी जान से गया। . . . (ठप्रबधान) . . . 302 का मामला तो यह होता नहीं लेकिन क्या मंत्री महोदय इसमें यह कोशिश करेंगे कि कानून में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन किया जाये जिससे जो लोग इस प्रकार तंग करते हैं उनके खिलाफ ज्यादा सख्त कार्यवाही की जा सके?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : यह घटना कई कारणों से बनी है और उसमें जो व्यक्ति डायरेक्टली कंसर्न्ड है वह दोषी होगा लेकिन जो सिस्टम्स हैं वह भी शायद दोषी होंगे तो उस सब को सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी । केवल मात्र कानून में ज्यादा दण्ड की व्यवस्था करने से कुछ होगा नहीं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मृतक व्यक्ति ने और अन्य कर्मचारियों ने अनेकों शिकायतें उस अफसर के खिलाफ की हैं ? यदि हां, तो वह सारी शिकायतें सदन में बताने का तैयार हैं कि किस किस प्रकार की शिकायतें उस अधिकारी के खिलाफ थीं ? दूसरे यह जो व्यक्ति मरा है वह इस अधिकारी के हैरान करने के कारण मरा है, इसलिए इसका वही अपराध है जो 302 का अपराध करने वाले का होता है, तो क्या सरकार उसको उमी प्रकार का दण्ड दिलाने की कृपा करेगी ? इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको यह सूचना कब मिली है, आपने कब व्यक्तियों को जांच करने के लिए भेजा है और कितना समय बीच में लगा है ? क्या यह प्रश्न आने के बाद आप ने जांच करवायी है या इसके पहले आपको सूचना मिल चुकी थी ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : जिस रात्रि को यह घटना घटी, रात को शायद बारह साढ़े बारह बजे घटी होगी और उसी रात को दो ढाई बजे यहां सूचना मिली । शायद पांच छः बजे मुझे उन्होंने सूचना दी होगी और उसी दिन हम ने अधिकारियों को भेजा । उसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जहां तक उस व्यक्ति को दण्ड देने का सवाल है उसके खिलाफ प्रारंभिक कार्यवाही की गई है, बाकी आगे जरूरत होगी तो वह भी की जायेगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब नहीं आया । उस अधिकारी

के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, क्या वह सब शिकायतें सदन के सामने रखी जायेंगी ?

MR. SPEAKER: You have answered that.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Demand of AITUC for Payment .of Bonus for 1977

\*225. SHRI M. KALYANASUN-DARAM;

SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether he has received a letter from the General Secretary of AITUC urging Government to take urgent steps to ensure payment of 8.33 per cent bonus for the accounting year commencing in 1977; and

(b) if so, the details and Govern-ment's reaction thereto?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) Apart from urging the Govern-ment to take steps to extend the statu-tory provision of 8.33 per cent mini-mum bonus for the accounting year beginning in 1977, the AITUC have also requested for waiving the ceiling of 20 per cent for bonus payments under bilateral agreements/settlements. They have also sought to widen the coverage of the Payment of Bonus Act.

The entire question will be review-ed by Government as part of the ex-ercise to evolve an integrated Policy on Wages, Incomes and Prices.